tive sees inactifications and Tennel UCHIAC.

states by my but that the thing suits the

BEGU HO D. L. DO 04/0001/3003 - 48



प्राधिकार से प्रकाशित PURLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

186 14 186 41 पहें दिल्ली, सितम्बर 4 - सितम्बर 10, 3016, मनिवार/भाद्ग 13-भाद्र 19, 1938

NEW DELYG SEPTEMBER 4 SEPTEMBER 10, 2016, SATURDAY/BIJADRA 13 BIJADRA 19, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक शंकलन के कप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग 11—खण्ड ३ - उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसृचनाएँ Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

चई दिल्ली, 5 दितगदर, 2016

कार अस. 1870.—केन्द्र सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के स्थथ एडित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्ररक्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य सरकार विधायी विभाग, सिचवालय, गांधीनगर को दिनांक 22 धई, 2015 की अधिसूचना सं. जीको/14/2015/एफसीआए102014/05/ई द्वारा दी गई सहमति से एतद्द्वारा विदेशी अभिदाय (विविधयन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 42) के अधीन दंडनीय सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर द्वारा दर्ज किए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरी के धामले सं 0292012 एस 0002 के अन्वेषण को लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शिवतयों और क्षेत्रधिकार का विस्तार समस्त गुजरात राज्य पर करती है।

[फा. सं. 228/71/2014-एवीडी-II]

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

कोल रिएडया लिमिटेड

(भारत स्तरका का उपक्रम) (एवः भहारत काफ्नी)

ियां तल, बंतर 1 एवं 3, स्टोप मीनार

लक्ष्मी नगर डिस्ट्विट सेन्टर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

फोन : 91-11-22017481/485/454

फैंग्स : 91-11-22010468 / 22454798

ई-मेल : coalindiadelhi@gmail.com सीआईएल.:डीएलआइ:एलए:अधिसूचना:2016—17 - २०६%

सीआईएल.:डीएलआइ:एलए:अधिसूचना:2016-17 -सेवा सं

महा प्रकल्क (भूमि एवं राजस्व) वेस्टिन कोलपील्ड्स लिभिटेड कोल एस्ट्रें, सिविल लाइन्स जानपुर-पप्ठ००।

महोदय, (महाराहद्रा)



COAL INDIA LIMIT

(A Government of India Undertaking) (A Maharatna Company)


5th Floor, Core 1 & 2, Floor, Scope Minar, Laxmi Nagar District Centre.

Laxmi Nagar, Delhi-110092

Phone: 91-11-22017481 / 485 / 486 / 502 Fax: 91-11-22010468 / 22454798

Fax: 91-11-22010468722454756 E-mail: coalindiadelhi@gmail.com

दिनांक 07-10-16



विषय: भारत का राजपत्र अधिसूचना की प्रति- भूमि अर्जन राजपत्र अधिसूचना की प्रति संलग्न है, जिसका विवरण नीचे दिए गए हैं -

विवरण जारी तिथि का. आ. ब्लॉक धारा

ग-11-२वण्ड् ३-३प-२वण्ड् (ii) 10-09-16 18 76 तानभी औराञ्च व्यान विस्तार ।।

ग-11-२वण्ड् ३-३प-२वण्ड् (ii) ०५-10-16 अप्रथा अंगोली - विन्ह्यु विस्तार गहन ५
विवर्ष (श्रेष अप्रि) तानी क्षेत्र

कृपया रसीद स्वीकार करें

धन्यवाद

भवदीय

संसम्ब : अपरोक्त अनुसार की उमेर्ट्बार्स्ट । अंग्रिस एवं चर्चा है

8 3 3 1 2 1 90 120 9 E

मुख्य प्रवंधक (कार्मिक)

REGIO OFFICE

Scanned with Oken Scanner

In the said notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule

Magadh Expansion Project

District-Latehar, Jharkhand

(Plan bearing number REV/10 /2016, dated the 26th July, 2016)

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area(in acres)	Area in (hectares)	Kemarks
I. Supple	Chetar	Balumath	59	Latehar	37.06	15.00	Part
2.	Seregara	Balumath	60	Latehar	79.07	32.00	Part
3.	Bukru	Balumath	64	Latehar	7.41	3.00	Part
4.	Сһатта	Balumath	54	Latehar	3.81	1.54	Part
Total:					127.35	51.54	

Total area: 127.35 acres(approximately) or 51.54 hectares (approximately)

Boundary Description of Magadh Expansion Project:

A-B-C-D

 Line Starts from point 'A' and passes through village Bukru, Seregara, Chetar and meets at point 'D'.

D-E-F-A

Line passes through village chetar, Charra, Seregara, Bukru and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/2/2016-PRIW-I]

SUJEET KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal notification S.O. 591(E), dated the 22nd February, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary. Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th February, 2016.

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

का.आ.1876.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग॥, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 21 मार्च, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 1170(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार उक्त भूमि में या उस पर के खनन अधिकार तारीख 21 मार्च, 2016 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्:-

- सरकारी कंपनी, उनत अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियां और येथी ही मदों की बाबत् किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपृत्ति करेगी;
- शर्त (1) के अधीन सरकारी कम्पनी हारा केन्द्रीय सरकार को संवेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उनत अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और किसी ऐसे अधिकरण और अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा बहुन किए आऐंगे और इस प्रकार निहित्त उनत घूमि में या उस पर के खनन अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपीलों आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबद् उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा बहुन किए जाऐंगे।
- 3. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारें में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके बिरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो।
- सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उनत भूमि और भूमि में या उसके उपर इस प्रकार निहित अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के खनन अधिकार के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/15/2015 –पीआरआईडब्ल्यु-ा]

सुजीत कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2016

S.O. 1876.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S. O. 1170(E), dated the 18th March, 2016, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st March, 2016, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the mining rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, Nagpur (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby directs that the mining rights in or over the said land so vested shall with effect from the 21st March, 2016, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- 1. The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
- 2. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government, by the Government Company under conditions (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the mining rights, in or over the said lands, so vesting, shall also be borne by the Government Company;
- The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other
 expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government
 or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
- The Government Company shall have no power to transfer the lands to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

[भाग II - खण्ड 3(ii)]

 The Government Company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for mining rights of particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/15/2015-PRIW-I] SUJEET KUMAR, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

का.आ. 1877.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डालिमिया भैग्नेसाइट कार्पोरेशन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, चैनाई के पंचाट (संदर्भ सं. 83, 85/2012) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 29.08.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43011/37/2012-आईआर (एम),

सं. एल-43011/36/2012-आईआर (एम)]

समीर कुमार दास, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 31st August, 2016

S.O. 1877.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 83, 85/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dalmia Magnesite Corporation and their workman, which was received by the Central Government on 29.08.2016.

[No. L-43011/37/2012-IR (M),

No. L-43011/36/2012-IR (M)]

SAMIR KUMAR DAS, Under Secv.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, $\operatorname{CHENNAI}$

Thursday, the 30th June, 2016

Present: K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 83 & 85 of 2012

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 or 1947), between the Management of Dalmie Magnesite Corporation and their workman)

BETWEEN:

ID 83/2012

The General Secretary Magnesite National Labour Union Vazhapadi K. Ramamoorthy Illam 52, Dr. Subbarayan Road Salem-626001

1st Party/Petitioner Union

AND